राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या.....783/2014..... जिला .....श्रीगंगानगर.....

उनवान : मैसर्स कालड़ा किराना स्टोर, गजसिंहपुर बनाम (1) अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (2) वाणिज्यिक कर अधिकारी, रायसिंहनगर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/6/2014	**खण्डपीठ** **श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य** **श्री मदन लाल, सदस्य** अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्या अ.प्रा./बीका./स्थगन/14–15 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 38(4) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 6.5.2014 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, रायसिंहनगर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा गया है) के अपीलार्थी के आलौच्य अवधि वर्ष 2010–11 के लिये वेट अधिनियम की धारा 25, 55, 61 व 64 के अन्तर्गत पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 13.2.2014 से सृजित मांग राशि रूपये 11,53,434/– की वसूली पर रोक स्वीकार करने से इन्कार किया गया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी मैसर्स देसाई ब्रदर्स लिमिटेड कम्पनी का रायसिंह नगर क्षेत्र का प्राधिकृत एजेंट है। माल सप्लाई की कार्य विधि अनुसार माल रायसिंहनगर पहुंचने पर कम्पनी के वाहन में ही अपीलार्थी के ग्राहकों को विक्रय कर सप्लाई किया जाता है तथा इस बिके हुए माल के अपीलार्थी की बिलबुकों से बिल जारी किये जाते हैं। कम्पनी के वाहन में शेष बचा माल अपीलार्थी को सौंप (कम्पनी द्वारा विक्रय कर) दिया जाता है, जिसका अपीलार्थी फुटकर रूप से बाद में विक्रय करता है। कर निर्धारण अधिकारी ने जांच में पाया कि अपीलार्थी उसे कम्पनी द्वारा सौंपे गये माल से भी अधिक तादाद के माल के बिल श्रीगंगानगर (अधिकृत क्षेत्र से बाहर) विक्रय करता है। इससे निष्कर्ष निकाला कि अपीलार्थी स्वयं के क्षेत्र में विक्रय माल के बिल जारी नहीं कर उस माल के केवल बिल गंगानगर के व्यवहारियों को जारी कर फर्जी रूप से उन्हें आगत कर का लाभ पहुंचाता है। इसलिए कर निर्धारण अधिकारी ने माना कि अपीलार्थी के क्षेत्राधिकार वाले व्यवहारियों के बिल जारी नहीं कर करापवंचन की नियत से विक्रय किया, इसलिए विवादित मांग रूपये 11,53,434/– की मांग सृजित की। उक्त आदेश के विरूद्ध अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर रूपये 11,53,434/– का स्थगन चाहा, जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा अस्वीकार किये जाने के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है। **लगातार.....2**	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या.....783/2014..... जिला .....श्रीगंगानगर.....

उनवान : मैसर्स कालड़ा किराना स्टोर, गजसिंहपुर बनाम (1) अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (2) वाणिज्यिक कर अधिकारी, रायसिंहनगर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज —: 2 :—	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/6/2014	अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री वी. के. पारीक व प्रत्यर्थी के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री अनिल पोखरणा की बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया की अपीलार्थी के विरूद्ध वेट अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत पारित कर निर्धारण आदेश तृतीय पक्ष के दस्तावेजों व बयानों के आधार पर किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी ने श्रीगंगानगर के व्यवहारियों को जारी बिलों को फर्जी बताया है, उन क्रेताओं से अपीलार्थी को न तो प्रतिपरीक्षण का अवसर दिया है न ही कम्पनी के सेल्समेन श्री हेमन्त पटेल, जिनके बयानों के आधार पर करापवंचन माना है, से भी प्रतिपरीक्षण कराया गया है। यह भी कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने बहियात अस्वीकार करने व करापवंचित विक्रय के बारे में कभी विशिष्ट नोटिस जारी नहीं किया न ही उसे सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किया है। यह भी कथन किया कि अपीलीय अधिकारी ने सुविधा सन्तुलन विभाग के पक्ष में होने का कोई कारण बताये बिना ही स्थगन आवेदन खारिज किया है। इसलिए अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया। प्रत्यर्थी के विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कम्पनी के सेल्समेन के बयानों को तृतीय पक्ष के बयान बताये है जबकि कम्पनी का सेल्समेन अपीलार्थी के सेल्समेन के साथ जाकर कम्पनी के वाहन से माल विक्रय करता है, इसलिए कम्पनी के सेल्समेन को तृतीय पक्ष नहीं कहा जा सकता है। अग्रिम कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा उसे कम्पनी द्वारा भौतिक रूप से सुपुर्द (विक्रय) किये गये माल से अधिक के बिल जारी किये हैं, जो कि माल के भौतिक रूप से मौजूद नहीं होने की स्थिति में असंभव है। इसलिए कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी के क्षेत्राधिकार के व्यवहारियों को बिल जारी नहीं करने तथा उनके विक्रीत माल के बिल क्षेत्र के बाहर के गंगानगर के व्यवहारियों को जारी कर गंगानगर के व्यवहारियों को फर्जी आगत कर की सुविधा उपलब्ध कराई हैं। इसलिए कर निर्धारण अधिकारी ने करापवंचन सिद्ध होने के उपरान्त कर व शास्ति विधिसम्मत रूप से आरोपित की गई है। अपीलीय अधिकारी ने अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों व लिखित प्रतिवेदन पर गौर करने के लगातार.....3	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या.....783/2014..... जिला .....श्रीगंगानगर.....

उनवान : मैसर्स कालड़ा किराना स्टोर, गजसिंहपुर बनाम (1) अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (2) वाणिज्यिक कर अधिकारी, रायसिंहनगर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज —: 3 :—	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/6/2014	उपरान्त सुविधा सन्तुलन विभाग के पक्ष में पाया है। अपीलीय आदेश में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि के अभाव में यह अपील अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया। उभयपक्ष की बहस पर मनन करने अपील आधारों व कर निर्धारण आदेश का अवलोकन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी द्वारा उसके क्षेत्राधिकार के बाहर के व्यवहारियों को बिल जारी करने के आधार पर यह माना है कि क्षेत्राधिकार के व्यवहारियों को बिक्री माल के बिल जारी नहीं किये गये हैं तथा श्रीगंगानगर के व्यवहारियों को बिना माल के बिल जारी किये गये है। अपीलार्थी को गंगानगर के व्यवहारियों को जारी कथित बिलों से अवगत कराया जाना कर निर्धारण आदेश से प्रथम दृष्टया प्रतीत नहीं होता है। इसके अलावा अपीलीय आदेश में भी सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होने का कोई कारण अंकित नहीं किया गया है। अतः इस पीठ के विनम्र मत में उक्त विवेचनानुसार प्रकरण में प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत होता है इसलिए अपीलार्थी के विरूद्ध वसूली योग्य बकाया मांग रूपये 11,20,000/— का स्थगन इस शर्त पर स्वीकार किया जाता है कि अपीलार्थी दो माह के भीतर कर निर्धारण अधिकारी की संतुष्टिपरक 2 मोतबीर जमानतें नियमानुसार आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में प्रस्तुत करे। शर्तों की पालना नहीं होने पर स्थगन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावें। अपीलीय अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश प्राप्ति से 2 माह के भीतर अपील का निष्पादन किया जाना सुनिश्चित करें। उक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। 13.6.2014 सदस्य राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर सदस्य राजस्थान कर बोर्ड, 13 अजमेर	